

(8) भारत में राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया सी नहीं है।
 विशेष रूप से इसमें सामान्य संवैधानिक प्रावधानों और विधायी कदमों
 की आवश्यकता रहती है। भारत की दृष्टि से यह सी तुलना 1119 से
 साफ है, जिसमें संघवाद की आवश्यकता है मैं आपसी और जातीय
 कारकों की दृष्टि पर ध्यान देकर देखा गया है। सिद्धांत
 कहें कि क्या भारत में इन कारकों पर जोर देने से राष्ट्रीय
 एकता मजबूत हुई है या नशीबता से बढ़ावा मिला है। (12+10+16)

उत्तर

भारत राज्यों का एक संघ है, साथ ही अमेरिकी संघ
 की तुलना में भारतीय संघ ^{अधिक} लचीला है।

भारतीय संविधान के भाग-1
 (अनुच्छेद 1 से 4) में वर्णित है कि
 राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन होगा तथा भारत संघ
 से हिस प्रकर का संबंध होगा। राज्यों के गठन
 और पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान संविधान
 में वर्णित हैं —

(i) अनुच्छेद-2, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश
 या स्थापना से संबंधित है।

(ii) नए राज्यों के प्रवेश से तात्पर्य है जो राज्य
 पूर्ण से स्थापित है वे भारतीय संघ में शामिल
 करना। यथा सिक्किम और गोवा से शामिल हुआ।

(iii) नए राज्यों की स्थापना से तात्पर्य है जैसे मू-मरा
 जो राज्य के रूप में स्थापित नहीं है लेकिन
 अधिकार में स्थापित हो जाता है।

(iv) अनुच्छेद-2 के अन्तर्गत, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने हेतु किसी अन्य भारतीय राज्य से सहमति लेनी ही आवश्यकता नहीं है।

(v) अनुच्छेद-3: भारत संघ में पूर्व में शामिल राज्यों में से नए राज्य का निर्माण, सीमा/क्षेत्रफल बदलना, नाम परिवर्तन इत्यादि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद-3 में वर्णित हैं। इससे शासनात्मक की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

(vi) इसमें (अनुच्छेद-3) में वर्णित किसी भी परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश आवश्यक होती है।

(vii) राज्य की विधेयक से प्रस्तावित राज्य की सहमति हेतु, राष्ट्रपति को, निर्दिष्ट समय सीमा के साथ, राजा जाता है।

(viii) हालाँकि, संबंधित राज्य के विधानमंडल का विचार मानने हेतु संसद बाध्य नहीं है। साथ ही, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत दिया गया संशोधन साधारण बहुमत से पास होगा तथा इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

- भारत में संघवाद को आकार देने के माध्यम और जातीय शक्तों की अद्यतन प्रक्रिया रही है। प्रारंभिक सेवा माना गया कि माधुर्य तथा जातीय आधार पर राज्यों का निर्माण संघ की स्थापना के बाद/संविधान अन्तर्गत की अद्यतनता वाली राज्य पुनर्गठन अधिनियम

जिसने मैं एक भाषा वाले राज्य होने से प्रशासनिक संयोजन की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन आरंभ हुआ। सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश से भाषा के आधार पर बनाया गया जिसे 1953 में महाराष्ट्र तथा गुजरात, 1960 में हरियाणा इत्यादि।

फिर, पूर्वोक्त से राज्यों के राज्यों से जातीय आधार पर गठित किया गया, इनके नागालैंड, मिजोरम इत्यादि शामिल हैं।

भारत के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ अच्छे उदाहरण है तथा 19वीं सदी में ही बाद पुनर्गठन किया गया जिसमें वर्षों के विचारों शामिल हैं। 20वीं सदी के एक कर भी पुनर्गठन नहीं किया गया है। अमेरिकी संघ अफिरानी राज्यों का अफिरानी संघ है।

भाषाई और जातीय आधार पर गठित राज्य और आका प्रभाव

भाषाई ^{तथा जातीय} आधार पर राज्यों के गठन से भारत संघ पर कुछ प्रभाव प्राप्त हो चुका है।

इससे प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- प्रशासनिक सुलभता
- लोगों के भाषाई संस्था का विकास
- शिक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव
- जातीयता से भाषा का विकास

(i) प्रशासनिक सुलभता:- प्रशासनिक अर्थों से विधानमंडल

हेतु राज्य से किसी भाषा का प्रभाव उठना होता है जो अधिकांश लोगों से समझ में आता है। किसी

दिपति में यह भाषा वाले राज्य होने से प्रशासनिक कार्य संपादन सुलभ होता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु भाषा आम बोलचाल की भाषा है।

(ii) भाषाई तथा जातीय एकता का विकास:- भाषाई तथा जातीय एकता के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित राज्य के लोगों में 'एक' होने का भाव बढ़ता है।

(iii) बिहारी और सांस्कृतिक संरूपता:- इसमें सांस्कृतिक स्वीकृति तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सुलभता होती है।

इसके विपरीत भाषाई तथा जातीय आधार पर राज्यों के वर्गीकरण/पुनर्गठन से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है जो निम्नलिखित हैं-

महाराष्ट्र ५३१७ → भाषाई तथा जातीय आधार पर और राज्यों की मांग
→ क्षेत्रीयता की भावना का विकास
→ जातीय द्वेष

① और राज्यों की मांग:- भाषा के आधार पर और अधिक राज्यों की मांग की जा रही है। जैसे मिथिला राज्य की मांग।

जातीयता के आधार पर भी कई राज्यों की मांग बढ़ गई है जैसे, कुर्गिल, गोवा वगैरह की मांग।

(ii) क्षेत्रीयता की भावना का विकास :- जैसा कि पहले बली
आपका द्वारा रहा गया था कि यह भाषा कौनसे काले
साथ ही यह जालीयता' है लोग किसी एक क्षेत्र है
बढ़ते नहीं रहते हैं। इसलिए अन्य क्षेत्रों में भी इस
आधार पर राज्यों की मांग की जा सकती है।

(iii) जातीय दंगे :- जातीय आधार पर राज्यों के निर्माण में
उन क्षेत्र में रहने वाले अन्य जाति' के लोगों के
तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो दंगों का
रूप ले लेता है। मणिपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश हैं

विशेषतः हम यह समझते हैं कि,

भाषाई और जातीय आधार पर राज्यों के गठन में
वाणशायी दस्ता में मजबूत हुई है साथ ही आर्थिक
रूप से क्षेत्रीयता की भी बढ़ावा मिला है। अतः
यह नागरिक के रूप में 'हमारे' देश, यहाँ की
भाषा का प्रसार तथा क्षेत्रीयता की भावना को
दृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है।